

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 15/2022-एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 30 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. (अ)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 के साथ पठित, एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 6 की उप धारा (1) और उप धारा (3) और धारा 20 के उपवाक्य (xxv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 09/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) क्रम संख्या 13 में, कॉलम (3) में, प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"स्पष्टीकरण: - इस प्रविष्टि के तहत छूट के प्रयोजन के लिए, एक पंजीकृत व्यक्ति को रिहायशी आवास किराए पर देने के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं शामिल होंगी जहाँ -

(i) ऐसा पंजीकृत व्यक्ति जो स्वत्वधारी समुत्थान का स्वत्वधारी है और किसी रिहायशी आवास को अपनी व्यक्तिगत क्षमता में अपने निवास के रूप में उपयोग करने के लिए किराए पर लेता है; और

(ii) इस तरह का किराया उसके अपने खाते पर है और जिसका स्वत्वधारी समुत्थान का कोई संबंध नहीं है।";

(ii) क्रम संख्या 24क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2023 से प्रभावी होगी।

[फाइल संख्या -सी बी आई सी -190354/316/2022-टी आर यु सेक्शन -सी बी इ सी]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या- 9/2017 -एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 04/2022- एकीकृत कर (दर), दिनांक 13 जूलाई, 2022 सा.का.नि 545 (अ), दिनांक 13 जूलाई, 2022 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।